इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 504]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 23, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्र. 28137.-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१५

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची १-क का संशोधन.

- ३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,—
 - (एक) अनुच्छेद ६ में, खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थातः—
- ''(छक) यदि वह समाचार पत्र से भिन्न रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, केबल नेटवर्क अथवा किसी मीडिया पर विज्ञापन से संबंधित है.

न्यूनतम पांच सौ रुपए तथा अधिकतम पच्चीस हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए ऐसे करार में विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम का ०.२५ प्रतिशत.

(छख) कोई संकर्म संविदा, जिसमें संविदा के सम्यक् अनुपालन अथवा किसी दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने वाला कोई करार अन्तर्विष्ट हो और जो कोई विकास/निर्माण करार अथवा प्रतिभृति बन्ध-पत्र न हो.

न्यूनतम पांच सौ रुपए तथा अधिकतम पच्चीस हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम अथवा मूल्य का ०.२५ प्रतिशत.'';

- (दो) अनुच्छेद १९ तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात :—
- "१९. विक्रय प्रमाण-पत्र (ऐसी प्रत्येक संपत्ति के संबंध में जो पृथक् लाट के रूप में रखी गई और बेची गई है), जो किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी या ऐसा करने के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लोक नीलामी के द्वारा विक्रय की गई किसी संपत्ति के केता को प्रदान किया गया है.

सम्पत्ति के बाजार मूल्य अथवा क्रय राशि, जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगने वाले शुल्क के समान.'';

- (तीन) अनुच्छेद ३८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—
 - ''३८. (क) **पट्टा**, जिसके अंतर्गत, खनन पट्टा से भिन्न अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिये कोई करार है—
- (एक) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अविध के लिये तात्पर्यित है;
- ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम या संपत्ति के बाजार मूल्य का ०.०१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.
- (दो) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो एक वर्ष या अधिक है किन्तु पांच वर्ष तक है;
- प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ०.१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.
- (तीन) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो पांच वर्ष से अधिक है किन्तु दस वर्ष तक है;
- प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ०.५ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.
- (चार) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो दस वर्ष से अधिक है किन्तु बीस वर्ष तक है;
- प्रीमियम या अग्निम दिये गये या अग्निम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.
- (पांच) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो बीस वर्ष से अधिक है किन्तु तीस वर्ष से कम है;
- प्रीमियम या अग्निम दिये गये या अग्निम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.
- (छह) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो तीस वर्ष या उससे अधिक है, या शाश्वतकालीन है, या निश्चित कालावधि के लिये तात्पर्यित नहीं है;
- प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मृल्य का पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.
- (ख) किसी भी कालाविध का खनन पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिये कोई करार सम्मिलित है—
- ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का ०.७५ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण — एक. — जब पट्टा करने के करार की कोई लिखत पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर शुल्क, पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा.

स्पष्टीकरण—दो.—जहां किसी पट्टे के संबंध में किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री या अंतिम आदेश पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसी डिक्री या अंतिम आदेश के अनुसरण में तत्पश्चात् पट्टा निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर शुल्क पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा.

स्पष्टीकरण—तीन.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये प्रीमियम, या अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के रूप में कोई प्रतिफल, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, सिवाय उसके जो पट्टे के अधीन किसी अन्य राशि के विरुद्ध प्रतिदेय या समायोज्य हो, दिये गये प्रतिफल के रूप में माना जाएगा.

स्पष्टीकरण — चार. — नवीनीकरण कालाविध, यदि पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है, तो वर्तमान पट्टा विलेख के भाग के रूप में मानी जाएगी.

स्पष्टीकरण—पांच.—जबिक पट्टेदार किसी आवर्ती प्रभार, जैसे कि शासकीय राजस्व, भू-स्वामी के उपकरों के अंश या नगरपालिक दरों या करों में स्वामी का अंश, जो पट्टाकर्ता से विधि द्वारा वसूलनीय हो, को चुकाने का जिम्मा लेता हो तो वह रकम, जिसके कि पट्टेदार द्वारा चुकाए जाने का इस प्रकार करार किया गया हो, भाटक का भाग समझी जाएगी. अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक भी अग्रिम धन समझा जाएगा, जब तक कि पट्टे में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न कर दिया जाए कि अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक, भाटक की किस्तों में मुजरा किया जाएगा.

स्पष्टीकरण—छह.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए रॉयल्टी भाटक के रूप में मानी जाएगी.

स्पष्टीकरण—सात.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य, प्रीमियम तथा भाटक, जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या राज्य में किसी नगरपालिक निकाय द्वारा या की ओर से निष्पादित पट्टे की विषयवस्तु है, लिखत में दर्शित मूल्य होगा.

स्पष्टीकरण—आठ.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए इजाजत और अनुज्ञप्ति अथवा कंडिक्टंग लाइसेंस का दस्तावेज, यदि वह स्थावर सम्पत्ति से संबंधित हो और पट्टे की प्रकृति का हो, पट्टा विलेख माना जाएगा.'';

(चार) अनुच्छेद ४१ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात :—

''४१क. शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति अर्थात् आयुध अधिनियम, १९५९ (१९५९ का ५४) के उपबंधों के अधीन शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज—

(क) निम्नलिखित से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति—

(एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल

पांच हजार रुपए.

(दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार

दो हजार रुपए.

(ख) निम्नलिखित से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति का नवीकरण—

(एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल

दो हजार रुपए.

(दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार

एक हजार रुपए.''.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) में विभिन्न प्रकार की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण हेतु दो अनुसूचियां हैं. अनुसूची—१ उन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करती है, जो संविधान की सप्तम् अनुसूची की संघ—सूची की प्रविध्ट ९१ में प्रगणित है, जबकि अनुसूची १-क उन अन्य लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करती है, जो राज्य-सूची की प्रविध्ट ६३ में प्रगणित है.

- २. कितपय दस्तावेजों को, जैसे विज्ञापन से सम्बन्धित करार, संकर्म संविदा और शस्त्र एवं गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति और उसका नवीकरण, जो वर्तमान में अनुसूची १-क में सिम्मिलित नहीं है, अनुसूची १-क में सिम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के कारण अनुसूची १-क का संशोधन आवश्यक हो गया है.
 - ं ३. अनुसूची १-क के प्रस्तावित संशोधन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—
 - (क) कर अपवंचन रोकने के लिये—
 - (एक) विक्रय प्रमाण पत्र पर प्रभार्यता सम्पत्ति के बाजार मूल्य या क्रय राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार प्रस्तावित की गई है;
 - (दो) खनन पट्टों पर प्रभार्यता पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम के ०.७५ प्रतिशत की दर से प्रस्तावित की गई है;
 - (तीन) इजाजत और अनुज्ञप्ति या कंडिक्टिंग लाइसेंस के दस्तावेज पर, यिद वह स्थावर सम्पत्ति से संबंधित हो और पट्टे की प्रकृति का हो तो, स्टाम्प शुल्क पट्टा विलेख के अनुसार प्रस्तावित किया गया है.

- (ख) व्यापक सार्वजनिक फायदे के लिये—
 - (एक) यह प्रस्तावित है कि कोई राशि जो पट्टे के अधीन देय किसी राशि के विरुद्ध प्रतिदेय या समायोज्य है, प्रभार्य नहीं होगी;
 - (दो) यह प्रस्तावित है कि किसी नगरपालिक निकाय द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख से संबंधित बाजार मूल्य लिखत में दर्शित मूल्य होगा;
 - (तीन) ऐसे पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेजों पर जो पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष तक, दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष तक और दस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से कम की अविध का हो, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क आधे तक कम किया जाना प्रस्तावित है.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल : दिनांक १० दिसम्बर, २०१५. जयंत मलैया भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

भगवानदेव ईसरानी प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

[💉] नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 510]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 24, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2015

क्र. 9214-359-इक्कीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL No. 23 OF 2015

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) BILL, 2015

A Bill further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh legislature in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2015.

Amendment of Central Act No. II of 1899, in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) (hereinafter referred to as the principal Act), shall in its application to the State of Madhya Pradesh, be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule 1-A.

- 3. In Schedule 1-A to the principal Act,—
 - (i) in article 6, after clause (g), the following clauses and entries relating thereto shall be inserted, namely:—
 - "(ga) If relating to advertisement on Radio, Television, Cinema, Cable network or any media other than newspaper
- 0.25 percent of the amount of consideration specified in such agreement, subject to a minimum of rupees five hundred and a maximum of rupees twenty five thousand.
- (gb) Work contract, not being a Development/ Construction agreement or a Security bond, containing an agreement to secure the due performance of a contract or due discharge of a liability.
- 0.25 percent of the amount or value secured by such deed, subject to a minimum of rupees five hundred and a maximum of rupees twenty five thousand.";
- (ii) for article 19 and entry relating thereto, the following article and entry relating thereto shall be substituted, namely:—
 - "19.Certificate of Sale (in respect of each property put up as a separate lot and sold), granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court or Collector or other Revenue Officer or an officer authorised to do so under any law for the time being in force.

The same duty as a conveyance (No.25) on the market value of the property or purchase amount, whichever is higher.";

- (iii) for article 38 and entries relating thereto, the following article and entries relating thereto shall be substituted, namely:—
 - "38.(a) Lease, including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let or any renewal of lease, other than mining lease—
 - (i) where the lease purports to be for a term less than one year.

0.01 percent of the whole amount payable or deliverable under such lease, or of the market value of the property, whichever is higher.

- (ii) where the lease purports to be for a term of one year or more but up to five years.
- 0.1 percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
- (iii) where the lease purports to be for a term exceeding five years but up to ten years.
- 0.5 percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
- (iv) where the lease purports to be for a term exceeding ten years but up to twenty years.
- one percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
- (v) where the lease purports to be for a term exceeding twenty years but less than thirty years.
- two percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
- (vi) where the lease purports to be for a period of thirty years or more, or in perpetuity, or does not purport to be for a definite period.
- five percent of the sum of the amount of premium or money advanced or to be advanced and the average annual rent reserved, or of the market value of the property, whichever is higher.
- (b) Mining Lease, of any term including an under-lease or sublease and any agreement to let or sub-let or any renewal of lease.
- 0.75 percent for the whole amount payable or deliverable under such lease.
- Explanation I. When an instrument of agreement to lease is stamped with the ad-valorem duty required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid, subject to a minimum of one thousand rupees.
- Explanation II. Where a decree or final order of any Civil Court in respect of a lease is stamped with advalorem duty required for a lease, and a lease in pursuance of such decree or final order is subsequently executed, the duty on such lease deed shall be the duty payable under the article less the duty already paid, subject to a minimum of one thousand rupees.

- Explanation III. Any consideration in the form of premium, or money advanced or to be advanced by whatever name called except which is refundable or adjustable against any other amount payable under the lease shall, for the purpose of this article, be treated as consideration passed on.
- **Explanation IV.** The renewal period, if specifically mentioned in the lease deed, shall be treated as part of the present lease period.
- Explanation V. When a lessee undertakes to pay any recurring charge, such as Government revenue, the landlord's share of cesses or the owner's share of municipal rates or taxes, which is by law recoverable from the lesser, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent. Also, rent paid in advance shall be deemed to be money advanced, unless it is specifically provided in the lease that rent paid in advance shall be set off towards the installments of rent.
- **Explanation VI.** For the purpose of this article royalty shall be treated as rent.
- Explanation VII. For the purpose of this article market value, premium and rent of any property, which is subject matter of lease executed by or on behalf of the Central Government or the State Government or any undertaking of the State Government or any municipal body in the State shall be as shown in the instrument.
- Explanation VIII. For the purpose of this article document of Leave and Licence or Conducting Licence, if relating to immovable property and in the nature of a lease shall be treated as lease deed.";

- after article 41, the following article and entries relating thereto shall be inserted, (iv) namely:-
 - Licence, relating to arms or ammunitions, that is to say. document evidencing the licence or renewal of licence relating to arms or ammunitions under the provisions of the Arms Act, 1959 (No. 54 of 1959).
 - Licence relating to-(a)

Revolvers and Pistols (i)

Five thousand rupees,

Weapons other than Revolvers and Pistols (ii)

Two thousand rupees,

Renewal of licence relating to-(b)

Revolvers and Pistols (i)

Two thousand rupees,

Weapons other than Revolvers and Pistols (ii)

One thousand rupees.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) has two Schedules appended to it, determining the rates of stamp duty on different types of instruments. Schedule -1 determines the rates of stamp duty on the instruments which are enumerated in entry 91 of the Union List of the Seventh Schedule to the Constitution, whereas Schedule 1-A determines the rates on other instruments enumerated in entry 63 of the State List.

- Amendment of Schedule 1-A has become necessary due to the reason that some documents that are not currently included in Schedule 1-A, such as Agreement relating to advertisement, Work contract and Licence relating to arms and ammunitions and its renewal need to be included in Schedule 1-A.
 - The salient features of the proposed amendment of Schedule 1-A are as follows-

to prevent tax evasion-(a)

chargeability on Certificate of sale has been proposed as per the market value of the property (i) or the purchase amount, whichever is higher;

chargeability on Mining leases has been proposed at the rate of 0.75 percent for the whole (ii)

amount payable or deliverable under the lease;

on document of Leave and Licence or Conducting Licence, if relating to immovable property (iii) and in the nature of a lease, the stamp duty has been proposed as per lease deed.

for benefit of the public at large-(b)

it is proposed that the amount which is refundable or adjustable against any amount payable (i) under the lease shall not be chargeable;

it is proposed that the market value relating to Lease deed executed by Municipal body shall (ii)

be as shown in the instrument;

- the stamp duty chargeable on documents relating to Lease for a term of exceeding five years but up to ten years, exceeding ten years but up to twenty years and exceeding twenty years (iii) but less than thirty years has been proposed to be reduced by half.
- Hence this Bill. 4.

BHOPAL:

DATED: The 10th December 2015

JAYANT MALAIYA Member-in-Charge.